

उलंघन पत्र

उलंघन पत्र

रजि.ए .डी.

Speed post/Email



भारत सरकार, खान मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर

INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR

फोन- 2282530-0771 2285590/ / 95, ईमेल - ro.raipur@ibm.gov.in

File no- CHG/KWA/Lst-4/Raipur/23

दिनांक -31.05.2022

प्रेषित- श्री मेघपल सिंह, नमित खन मलिक
मेसेर्स जयस्वल नेको इंडुस्ट्रिज लिमिटेड.
स्टील प्लंट दिविसिओन, सिल्लरा गोव्थ केंद्र
पोस्ट- रायपुर, छत्तीसगढ़ - ४९३१११

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धम जिले में स्थित आपकी मंपुर चुना पथर खदान 12.145 हेक्टर है। मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में-

महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 06.05.2022 को अधोहस्तक्षरी द्वारा श्री T.Prasanna, President(Mines) की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
11 (1)	Based on 80% recovery of Limestone from mineralised zone, yearly 20% sub-grade fines generation and its stacking was envisaged in approved Mining Plan. A quantity of 19,500 tonnes of sub-grade fines was envisaged to be generated during the year 2020-21. Against such proposal, no such generation and its stacking is reported.
26(2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1 st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan has not been submitted for the year 2020-21.
45(5)(c)	In annual return for financial year 2020-21 following discrepancies are observed; i. At Part I : land use information is furnished incorrectly. ii. At part-V (General Geology & Mining), updated reserves and resources at the end of the year are furnished incorrectly. iii. At Part VII: Cost production is furnished incorrectly.

- 2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 45 (7) के अंतर्गत
(क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों 26(2) का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

1. अतः आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों 45(5)(C) का अतिषीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(देबदुर्लभ दाश)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी,

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर। प्रतिलिपि- सुचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 -
[Email- com.cz@ibm.gov.in](mailto:com.cz@ibm.gov.in)
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

भवदीय

(देबदुर्लभ दाश)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी,